डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादिनी
बनाम

1. सफीयत पत्नि हासमदीन पि. रमजानखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादी
1. तहसीलदार बाप

...वा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्याः— 66/2019

...ह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे ...र हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब ...मुसम्मलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है वाद वादिनी स्वीकार किया ...जाता है कि ग्राम भीवजी का गांव पटवार क्षेत्र घटोर के खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा भूमि ...में वादिनी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादिनी ...के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण ...खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें।नीचे ...तालिक

...खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर बाबत्
...वसूल यावी तक फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

...बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 11 सन् 2019 जारी की

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

मुद्दई	रूपया	पैसे
...अर्जी दावा स्टाम्प		
...वकालत नामा		
...जह सबूत		
...वकील		
...हन		
...श्नर		
...राय हुक्मनामा		
...मिजान		

मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील		
खर्चा वाहन		
फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुत्फरिक		
मिजान		

...न खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो ...किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप जिला–जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादिनी	बनाम	प्रतिवादी
1. सफीयत पत्नि हासमदीन पि. रमजानखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला जोधपुर		1. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्याः– 66/2019

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादीनी की और से वकील श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. प्रतिवादी पैरोकार सरकार

दिनांकः– 06.11.2019

निर्णय

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्नानुसार है कि वादिनी की खरीदसुदा भूमि ग्राम भीवजी का गांव पटवारक्षेत्र घटोर खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार से जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के खरीद की थी। उसी दिन मौके पर चलकर पूर्व खातेदार विक्रेता ने वादिनी को कब्जा मौके पर सुपुर्द कर दिया था। लेकिन खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 448 मौजा भीवजी का गांव भरते समय सरासर गलत तरीके से उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में वादिनी को गैरखातेदार दर्ज कर दिया। जबकि वादिनी ने उक्त भूमि खरीद की थी उस समय उक्त भूमि पूर्व खातेदार विक्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज थी लेकिन नामान्तरकरण संख्या 448 के जरिये उक्त भूमि वादिनी के नाम सरासर गलत तरीके से गैर खातेदार दर्ज कर दी। इसलिये वादिनी ग्राम भीवजी का के खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादिनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया समन्स बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत किया जो

शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि वादिनी के नाम खरीदसुदा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से वादिनी को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादिनी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वकील वादिनी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए वादिनी की साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली अन्तिम बहस मे रखी गई।

वकील वादिनी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भीवजी का गांव पटवार मण्डल घटोर तहसील बाप के खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के खरीद की थी। लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 448 मौजा भीवजी का गांव भरते समय सरासर गलत तरीके से उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में वादिनी को गैरखातेदार दर्ज कर दिया। जबकि पूर्व खातेदार विक्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इसी अनुसार वादिनी को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे। वकील वादिनी ने अपनी बहस के समर्थन इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रतियां पेश कि जो निम्न है। निर्णय दिनांक 20.06.2014 अनवान नबीयत बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 10.08.2016 अनवान धनी बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 14.02.2018 अनवान जमुखां बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 28.12.2018 अनवान खुशालसिंह बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 08.01.2019 अनवान नूर खातू बनाम तहसीलदार बाप।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि वादिनी को नियमानुसार गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, नामान्तरकरण संख्या 448 मौजा भीवजी का गांव व चालू जमाबंदी संवत 2071–2074 एवं तहसीलदार का जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 449 मौजा भीवजी का गांव भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण में वादिनी को गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। जो वर्तमान में भी वादिनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जिस समय उक्त भूमि वादिनी ने खरीद की उस समय उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2019.12.09 18:46:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

भूमि पूर्व खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो विक्रय पत्र से प्रमाणित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादिनी का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं है। इसी अनुसार वादिनी को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादिनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादिनी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भीवजी का गांव पटवार क्षेत्र घटोर के खसरा नंबर 4/27 रकबा 54.18 बीघा भूमि में वादिनी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादिनी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फाइल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(महावीर सिंह)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)